

फॉर्म 5
{(नियम 24 (3) देखें)}

FORM 5
{(See Rule 24 (3))}

इयूटी पर लौटने के लिए स्वस्थता का चिकित्सा प्रमाण पत्र
MEDICAL CERTIFICATE OF FITNESS TO RETURN TO DUTY

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर
Signature of the Government servant

हम, मेडिकल बोर्ड के सदस्य

मैं.....सिविल सर्जन /स्टाफ
सर्जन/प्राधिकृत चिकित्सा अटेंडेंट/पंजीकृत मेडिकल एतद्वारा प्रमाणित
करता हूँ/करते हैं कि हमने / मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी.....
का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है, जिनके हस्ताक्षर ऊपर दिए गए हैं और पाया है कि वह अपनी बीमारी
से ठीक हो गए/गई हैं और अब सरकारी सेवा में इयूटी फिर से शुरू करने के लिए स्वस्थ हैं। हम/मैं
यह भी प्रमाणित करता हूँ /करते हैं कि इस निर्णय पर पहुंचने से पहले हमने/मैंने इस मामले (या इनकी
प्रमाणित प्रतियों) के मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्रों) और कथन (कथनों) की जांच की है, जिस
पर छुट्टी दी गई थी या बढ़ाई गई थी और हमने हमारे/अपने निर्णय पर पहुंचने से पहले इन पर
विचार किया है।

We, the members of Medical Board

I.....Civil
Surgeon / Staff Surgeon / Authorised Medical Attendant / Registered Medical Practitioner
of..... do
hereby certify that We/I have carefully..... examined Shri. / Smt. /
Kumari.....

Whose signature is given above and find that he / she has recovered from his / her illness and is now fit to
resume duties in Government service. We / I also certify that before arriving at this decision We / I have
examined the original Medical Certificate (s) and statement (s) of the case (or Certified copies thereof) on which
leave was granted or extended and have taken these into consideration in arriving at our / my decision.

दिनांकित/Dated:

प्राधिकृत मेडिकल अटेंडेंट/Authorised Medical Attendant/
अस्पताल डिस्पेंसरी/ Hospital Dispensary
पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर/ Registered Medical Practitioner